

प्रेषक,

धन्नजय शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पेंशन निदेशालय,
इन्दिरा भवन, लखनउ।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनउ: दिनांक: 02 जुलाई, 2018

विषय:- श्री सत्यभान,पी0सी0एस0-1989 के पेंशन,राशिकरण,उपादान प्रपत्रों का प्रेषण।

महोदय,

श्री सत्यभान,पी0सी0एस0, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 30-06-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त पेंशन, राशिकरण प्रपत्रों की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री सत्यभान के पक्ष में कोई देयता अवशेष नहीं है। अतः इनका पेंशन, राशिकरण, उपादान प्राधिकार पत्र निर्गत करते हुए उसकी सूच्ना शासन को यथासमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त ।

भवदीय,

(धनन्जय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि- श्री सत्यभान, से0नि0 पी0सी0एस0,पता-बी-2/96, विपुल खण्ड गोमती नगर,लखनउ को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रेषक,

धन्नजय शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),
उत्तर प्रदेश शासन।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनउ: दिनांक: 02 जुलाई, 2018

विषय:- श्री सत्यभान,पी0सी0एस0-1989 को देय अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति।
महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री सत्यभान,पी0सी0एस0-1989, जो अपनी अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 30-06-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, को वित्त सामान्य अनुभाग के कार्यालय जाप संख्या-सा-4-393/दस-99-2000-88 दिनांक 01-07-99 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन सेवानिवृत्ति की तिथि तक देय अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति, जो 300 दिन से अधिक न हो, प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(धन्नजय शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि- श्री सत्यभान, से0नि0 पी0सी0एस0,पता-बी-2/96, विपुल खण्ड गोमती नगर,लखनउ को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

धन्नजय शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
इरला चेक (वेतन पर्ची अनुभाग),
उत्तर प्रदेश शासन।

नियुक्ति अनुभाग-2

लखनऊ:

दिनांक: 02 जुलाई, 2018

विषय:- श्री सत्यभान,पी0सी0एस0-1989 के जी0आई0एस0 प्रपत्रों का प्रेषण ।

महोदय,

श्री सत्यभान,पी0सी0एस0, जो अधिवर्षता आयु के उपरान्त दिनांक 30-06-2018 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं, से प्राप्त जी0आई0एस0 प्रपत्रों की तीन प्रतियाँ मूलरूप में संलग्न कर भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मामले में आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(धन्नजय शुक्ल)

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि- श्री सत्यभान, से0नि0 पी0सी0एस0,पता-बी-2/96, विपुल खण्ड गोमती नगर,
लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश शासन

नियुक्ति अनुभाग-2

संख्या-80/2018/1625/दो-2-2018-28/2(31)/2018

लखनउ: दिनांक: 02 जुलाई, 2018

आदेश

श्री सत्यभान, पी0सी0एस0-1989 के भविष्य निधि खाता संख्या-जी0ए0यू0-71351 में कुल जमा धनराशि के 90 प्रतिशत के भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- श्री सत्यभान, पी0सी0एस0, के जी0पी0एफ0 खाते में महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-निधि-17/मिलान डायरी-303/62828/1268/79760, दिनांक 09-11-2017, जिसमें 3/17 तक कुल जमा धनराशि रू0-39,15,225/- (रू0-उन्तालीस लाख पन्द्रह हजार दो सौ पच्चीस मात्र) के 90 प्रतिशत धनराशि रू0-35,23,702/- (रूपये पैंतीस लाख तेइस हजार सात सौ दो मात्र), के भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-ए0जी057/दस-84-510/84, दिनांक 26-12-84 के साथ पठित शासनादेश संख्या-सा-4-ए0जी058/दस-84-510/84 दिनांक 12-01-90 के अधीन स्वीकृत किए जा रहे हैं।

4- प्रमाणित किया जाता है कि भुगतान की जा रही जी0पी0एफ0 की धनराशि श्री सत्यभान, के जी0पी0एफ0 खाते में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

धनन्जय शुक्ल,
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- अध्यक्ष एवं प्रशासक, ग्रेटर शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकारी/ परियोजना, लखनउ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया श्री सत्यभान, पी0सी0एस0के भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि की 90 प्रतिशत धनराशि का भुगतान कराने का कष्ट करें।
- 3- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन लखनउ।
- 4- श्री सत्यभान, से0नि0 पी0सी0एस0, पता-बी-2/96, विपुल खण्ड गोमती नगर, लखनउ को सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(राजेश प्रताप सिंह)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।